संख्या–700 /पांच–5–2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्टेशन, महिला कल्याण,
बाल विकास एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ दिनॉक 25 मार्च, 2020**

विषयः–महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा महिलाओं एवं बच्चों हेतु संचालित गृह के कार्मिकों को लॉकडाउन अवधि में आने–जाने की छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने दिनांक रहित पत्र संख्या–1175/पी0एस0एम0के0/2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा महिलाओं एवं बच्चों हेतु संचालित गृह के कार्मिकों को लॉकडाउन अवधि में आने–जाने की छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–679/पांच–5–2020, दिनांक 21.03.2020 में आवश्यक सेवाओं को लॉक डाउन की अवधि में आने–जाने हेतु छूट प्रदान की गयी है तथा जिन सेवाओं के संबंध में यह भ्रम हो वह आवश्यक सेवाओं में आता है कि नहीं, उसके संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

कृपया तद्नुसार संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

vk sir.go-com4